

बिहार सरकार

गृह विभाग

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार, पटना।

कार्यालय आदेश - २५

कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, २०१३ के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-१७९०३ दिनांक-२९.१२.२०१४ द्वारा कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न को रोकने हेतु आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन किये जाने सहित विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत है। तदनुसार पर्षद कार्यालय के लिए आंतरिक शिकायत निवारण समिति का गठन निम्न रूपेण किया जाता है:-

- | | |
|---|----------------------------|
| ०१. श्रीमती नूतन सिन्हा, पु०अ०नि० | - अध्यक्ष |
| ०२. मो० शकील खाँ, पु०अ०नि० | - सदस्य |
| ०३. श्री महेन्द्र प्रसाद मेहता, पु०अ०नि० | - सदस्य |
| ०४. सुश्री सीमा कुमारी, ट्रस्टी, प्रयास भारती | - सदस्य (गैर सरकारी संगठन) |

इस समिति का कार्यकाल तीन (०३) वर्षों का होगा। यह समिति अधिनियम एवं बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-१७९०३ दिनांक-२९.१२.२०१४ के आलोक में नियमानुसार कार्यवाही करेंगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/-

अध्यक्ष,

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),
बिहार

ज्ञाप सं०:-के०च०प०/०१/(स्था०)-६९/२०२४/४७८.....

पटना, दिनांक-१६.०५.२४

- प्रतिलिपि:- १. सामान्य प्रशासन विभाग/गृह विभाग (आरक्षी शाखा)/पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ।
२. समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ।
३. कार्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी को सूचनार्थ।
४. सुश्री सीमा कुमारी, ट्रस्टी, प्रयास भारती, राजीव नगर रोड नम्बर-०१, नियर डॉ० पन्नालाल, पटना-१, मो०-९५७६६६३७९ को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ।
५. कार्यालय नोटिस बोर्ड।

अध्यक्ष,

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),
बिहार